न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी–देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 109/2010 प्रा0पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970

सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

1. रामदेव पुत्र गंगाराम जाति बैरवा निवासी ग्राम नांगल चांपा तहसील दौसा (फोत)
   1.1 पूरण पुत्र रामदेव
   1.2 मोहरपाल पुत्र रामदेव
   1.3 सोहनलाल पुत्र रामदेव
   जाति बैरवा निवासी नांगल चांपा तहसील दौसा
   1.4 रामबाई पुत्री रामदेव पत्नि मोहनलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम लांका तहसील सिकराय जिला दौसा
   1.5 नाथी पुत्री रामदेव पत्नि गुलाबचंद जाति बैरवा निवासी ग्राम अम्बाडी तहसील सिकराय जिला दौसा (फोत)
      1.5.1 कालूराम पुत्र गुलाब चंद
      1.5.2 सोनू पुत्र गुलाबचंद
      1.5.3 मोनू पुत्र गुलाबचंद
      1.5.4 सुशीला पुत्री गुलाबचंद
      समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम अम्बाडी तहसील सिकराय जिला दौसा

..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू–आवण्टननियम–1970

उपस्थित–1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
2.श्री भरतलाल मीना अप्रार्थी 1.1 से 1.3 अनु0

निर्णय

दिनांक: 10.3.2026

1. संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 24.6.2002 को ग्राम नांगल चापा तहसील दौसा के आ0ख0नं0 359/1022 रकबा 0.11है. भूमि का आवंटन अप्रार्थी रामदेव पुत्र गंगाराम जाति बैरवा निवासी नांगल चापा को कर दिया गया। अप्रार्थी रामदेव द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

2. प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब कियागया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:36:54 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर,दौसा

3. राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील है कि आवंटन सलाहकार समिति नांगल चांपा द्वारा अप्रार्थीरामदेव पुत्र गंगाराम जाति बैरवा निवासी नांगल चांपा को दिनांक 24.6.2002 को ग्राम नांगल चांपा स्थित आराजी खसरा नंबर 359／1022 रकबा 0.11है. का आवंटन किया गया है। भूमि आवंटन होने पर नामान्तरण सं0 217 दिनांक 27.7.2002 को गैर खातेदारी दर्ज हुई। किंतु आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं किया है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी／भू अभिलेख निरीक्षक के आवंटी／गैर खातेदार ने उक्त आवंटित की गई भूमि पर कब्जा काश्त नहीं की जाकर भूमि उपयोग में नहीं ली गई है। आवंटन की शर्तो की पालना नहीं होने के कारण आवंटन निरस्त योग्य है। अतः आवंटी को कियागया प्रश्नगत आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

4. अप्रार्थीगण 1.1 से 1.3 के अधिवक्ता बहस हेतु उपस्थित नहीं हुए। शेष अप्रार्थीगण के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

5. हमने हमने राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवंटन सलाहकार समिति कैंप नांगल चांपा द्वारा दिनांक 24.6.2002 को अप्रार्थी रामदेव पुत्र गंगाराम जाति बैरवा निवासी नांगल चांपा को ग्राम नांगल चांपा स्थित आराजी खसरा नंबर 359／1022 में से 0.11है0 भूमि का आवंटन किया गया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। आवंटी／गैर खातेदार द्वारा द्वारा भूमि पर काश्त नहीं की जाकर आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। पत्रावली में संलग्न खसरा गिरदावरी संवत 2061 से 2064 व संवत 2065 के अवलोकन से भी यह सिद्ध होता है कि भूमि पडत पडी हुई है। अतः आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 24.6. 2002को अप्रार्थी रामदेव पुत्र गंगाराम बैरवा को आवंटित की गई भूमि पर आवंटन शर्तों की पालना नही करने से उक्त आवंटन खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 24.6.2002 के द्वारा ग्राम नांगल चांपा में अप्रार्थी रामदेव पुत्र गंगाराम जाति बैरवा निवासी नांगल चांपा को नांगल चांपा के आराजी खसरा नंबर 359／1022 का आवंटन खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा को प्रेषित की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 10 [illegible] 2026 [illegible] जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवंन्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इ[illegible] की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:36:54 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official